संख्या-147/2021/870 /23-9-2021-03एस0सी0पी0/2019

प्रेषक,

राजेन्द्र प्रसाद,

उप सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
फतेहपुर व चित्रकूट ।

लोक निर्माण अनुभाग-9 **लखनऊ: दिनांक 20 सितम्बर, 2021**

विषयः अनुदान संख्या-83 एस0सी0पी0 के अन्तर्गत पूर्व में स्वीकृत चालू कार्यो पर वित्तीय वर्ष 2021-22 में धनराशि आवंटित किये जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिलाधिकारी, फतेहपुर के पत्र संख्या-1689/ए0-2/प्रा0खं0फतेहपुर/2021, दिनांक 26.07.2021 एवं जिलाधिकारी, चित्रकूट के पत्र संख्या-1017/ए-10, दिनांक 01.09.2021 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-83, एस0सी0पी0 योजनान्तर्गत निम्नलिखित सूची के स्तम्भ-4 में उल्लिखित शासनादेशों द्वारा पूर्व में स्वीकृत 02 जनपदों यथा- फतेहपुर व चित्रकूट के कुल 03 चालू कार्यो हेतु स्तम्भ-11 के अनुसार रू0 1,86,86,000/- (रूपये एक करोड़ छियासी लाख छियासी हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	कार्य का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत लम्बाई (कि0 मी0 में)	स्वीकृत लागत	बचत की धनराशि	बचत की धनराशि के उपरान्त कार्य की कुल लागत	अब तक आवंटन	आवंटन हेतु देय अवशेष	वित्तीय वर्ष 2021-22 में अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	फतेहपुर	टेसाही खुर्द से गुखुरुवापुर सम्पर्क मार्ग।	129/2019/आ0-114(1)/23-9-2019-02एस0सी0पी0/2019, दि0 12.12.2019	1.950	116.00	11.00	105.00	57.61	47.39	47.39
2	चित्रकूट	मड़ैयन से बधिन सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण कार्य।	118/2019/आ0-123(1)/23-9-2019-05एस0सी0पी0/2019, दि0 04.12.2019	1.90	163.54	0.76	162.78	81.21	81.57	81.57

क्रमशः....

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

क्र0 सं0	जनपद का नाम	कार्य का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत लम्बाई (कि0 मी0 में)	स्वीकृत लागत	बचत की धनराशि	बचत की धनराशि के उपरान्त कार्य की कुल लागत	अब तक आवंटन	आवंटन हेतु देय अवशेष	वित्तीय वर्ष 2021-22 में अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	चित्रकूट	कौबरा से कमरौहा पुरवा सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण कार्य।	118/2019/आ0-123(1)/23-9-2019-05एस0सी0 पी0/2019, दि0 04.12.2019	1.50	119.35	2.18	117.17	59.27	57.90	57.90
			कुल योग-	**5.35**	**398.89**	**13.94**	**384.95**	**198.09**	**186.86**	**186.86**

2- उक्त धनराशि केवल अंकित परियोजनाओं पर ही मानक/विशिष्टियों के अनुरूप व्यय की जायेगी तथा इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

3- प्रश्नगत मार्गों के गुणवत्तायुक्त निर्माण की प्रगति की नियमित समीक्षा कर उन्हें निर्धारित समयान्तर्गत पूर्ण किया जाय तथा मार्गो का पूर्णता एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जाय।

4- संलग्न सूची के स्तम्भ-4 में उल्लिखित शासनादेश की शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

5- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत "लेखाशीर्षक 5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय, 04-जिला तथा अन्य सड़कें, 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, 28-कृषि विपणन सुविधाओं हेतु राजस्व ग्राम/बसावटों को पक्के सम्पर्क मार्गो से जोड़ने हेतु ग्रामीण सम्पर्क मार्गो का नवनिर्माण/पुनर्निर्माण, 00, 24-वृहत निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 में प्राविधानित अधिकारों के अंतर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव

क्रमशः

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या उपरोक्त तद दिनाक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1- प्रधान महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज ।
2- संबंधित मण्डलायुक्त।
3- नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0शासन ।
4- प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, लखनऊ ।
5- संबंधित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0।
6- संबंधित मुख्य विकास अधिकारी/संबंधित संयुक्त विकास आयुक्त ।
7- संबंधित जिला विकास अधिकारी/संबंधित परियोजना निदेशक ।
8- संबंधित अपर मुख्य विकास अधिकारी, जिला परिषद ।
9- संबंधित कोषाधिकारी, उ0प्र0 ।
10- बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/8 ।
11- लोक निर्माण अनुभाग-10 / वित्त (लेखा) अनुभाग-2 ।
12- गार्ड फाईल / एन0आई0सी0 हेतु ।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।